

कार्यालय कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र./..... अ-82/2017-18/मौजा निरगुड़/९०५६ बैतूल, दिनांक : 30/7/18

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	निरगुड़	8.308	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई, जिला बैतूल	निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	नानकराम व. भैयालाल, बुधिया पिता भैयालाल, जमुना बेवा पतिराम, जाति कोरकू, पता सा. देह भू-स्वामी	130 139	0.829 1.036	0.829 1.036
2	सोनाजी व. कालू जाति कोरकू सा.देह भू-स्वामी	118 119	0.162 0.162	0.162 0.162
3	रमेश व. नत्थू जाति कोरकू सा. देह, भू-स्वामी	120	1.687	1.212
4	भूरा, शिकारी व. बिसराम, जाति कोरकू, पता सा. देह, भू-स्वामी	133 134 135 136 131 132	0.340 1.012 0.190 0.143 0.138 0.397	0.340 1.012 0.190 0.143 0.138 0.397

5	हिम्मत व. बक्सु, जाति गोंड, पता सा. मूसाखेड़ी, भू-स्वामी	129	0.827	0.020
6	भगाया बे. सुकलु, छन्नू, मन्नू, गन्नू व. सुकलु, रुखमी पिता सुकलु, ओझा, चैतराम, चैतु व. सुकलु, ओझे, कैलो, ढोंडी, खोदी, बुलकी पिता सुकलु, जाति कोरकू, पता सा. देह भूमिस्वामी	140	1.631	1.631
7	गेन्दलाल व. हीराजी, जमुना बेवा मोतीराम, जाति कोरकू, पता सा. देह भूमिस्वामी	138	1.036	1.036
	कुल योग :-	14	9.590	8.308

1. चूंकि निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शशांक मिश्र) 20/2

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजस्व भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
3. कार्यलपान यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल कर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी एन.आई.सी. सेन्टर, बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय, बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषिम एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भितर भेजना सुनिश्चित करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाषित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
9. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मुसाखेड़ी तहसील आठनेर जिला बैतूल म0प्र0 की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।



(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल, एवं समुचित सरकार,
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग